न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

<u>प्रकरण संख्या– स्पेशल अपील/एल.आर./479/2003/हनुमानगढ</u>

1. रामप्रताप मृतक जरिये वारिसान–
1/1. शकुन्तला देवी पत्नी रामप्रताप
1/2. महेन्द्र पुत्र रामप्रताप
1/3. भजनी पुत्री रामप्रताप
1/4. सुरेन्द्र कुमार पुत्र रामप्रताप
1/5. अनिता पुत्री रामप्रताप
2. बीरबल मृतक जरिये वारिसान–
2/1. धापी देवी पत्नी बीरबल
2/2. भागीरथ
2/3. लालचन्द पुत्रगण बीरबल
2/4. पुष्पादेवी पुत्री बीरबल
3. रामेश्वर
4. देवीलाल पुत्रगण पूर्णराम
5. शान्ति
6. सावित्री
7. कलावती
8. बादो पुत्रियां पूर्णराम
समस्त जाति जाट निवासी चाईया, तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ

–अपीलार्थीगण

बनाम

1. हजारी पुत्र तेजाराम मृतक जरिये वारिसान–
1/1. लालचन्द पुत्र हजारी
1/2. गुडडी देवी
1/3. लिछमा देवी
1/4. सोना देवी
1/5. तिगरदावरी पुत्रियां हजारी
समस्त जाति ब्राहमण निवासी चाइया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
2. राज्य सरकार

–प्रत्यर्थीगण

<u>खण्डपीठ</u>
श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थित

श्री मनीष पाण्डया, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
श्री शशिकान्त जोशी, अधिवक्ता, प्रत्यर्थी सं.–1 के वारिसान की ओर से

निर्णय

दिनांक 05.02.2020

अपीलार्थीगण ने यह स्पेशल अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अन्तर्गत राजस्व मण्डल की माननीय एकलपीठ द्वारा अपील संख्या 135/1992 में पारित निर्णय दिनांक 06–01–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी हजारी की दादी सुगनी के नाम ग्राम चाइया में कुल 51.09बीघा भूमि थी, जो अपीलार्थी के पिता व दादा के भौतिक धारण में थी। प्रत्यर्थी की दादी ने खण्ड अधिकारी नोहर के न्यायालय में बेदखली का वाद प्रस्तुत किया, जिसमें मु0 सुगनी व उसके पुत्र व मुख्तयार आम तेजाराम जो प्रत्यर्थीगण का पिता था, ने राजीनामा दिनांक 16–5–1952 को किया जिसमें खसरा नम्बर 192 की 17बीघा 14बिस्वा भूमि अपीलार्थीगण के पूर्वज पूर्णराम को प्राप्त हुई तथा शेष भूमि सुगनी के पक्ष में रहने दी गयी। इस प्रकार अपीलार्थीगण 50 वर्षा से उक्त भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है। उक्त खसरा नम्बर 192 कालान्तर में खसरा नम्बर 178 बना। इसके उपरान्त यह भूमि चक नम्बर 7 केएम के मुरब्बा नम्बर 204/402 के किला नम्बर 2 से 9, 12 से 19 एवं 22 व 23 कुल 17बीघा 17बिस्वा में परिवर्तित हुई। उक्त भूमि से अपीलार्थी को बेदखल करने हेतु प्रत्यर्थी ने न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन, हनुमानगढ के समक्ष दावा प्रस्तुत किया, जो दिनांक 8–12–1970 को निरस्त कर दिया। ग्राम चाइया में चकबन्दी के समय भूमि एकीकरण की कार्यवाही चली जिसमें प्रत्यर्थी ने उक्त भूमि को अपनी बताते हुए उक्त भूमि के विनिमय हेतु आवेदन किया, जिस पर अपीलार्थी को सुने बिना एकपक्षीय आदेश दिनांक 8–1–1971 से उक्त भूमि को राजकीय भूमि घोषित कर दिया व इसके विनिमय स्वरूप चक–6 बीपीएम के मुरब्बा नम्बर 204/398 व 204/399 की कुल 13–08बीघा भूमि तबादले में प्रत्यर्थी के नाम फिटिंग कर दी। तत्पश्चात् दिनांक 8–1–1971 के आदेश को निरस्त कराने हेतु अपीलार्थीगण के पूर्वज ने सहायक आयुक्त उपनिवेशन के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे उपखण्ड अधिकारी, नोहर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25–3–1987 से चक 7

केएम की भूमि अपीलार्थीगण के पूर्वज की धारण में मानते हुए प्रत्यर्थी के आवंटन को निरस्त कर दिया व चक 6बीपीएम की भूमि को राजकीय भूमि घोषित कर दिया। उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रत्यर्थी ने विचारण न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जिसे उपखण्ड अधिकारी, नोहर द्वारा दिनांक 4–8–1988 को स्वीकार कर चक 6बीपीएम की भूमि पर प्रत्यर्थी को खातेदार अंकित कर दिया। उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित इस निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थीगण ने राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 18–12–1992 से खारिज कर दी। इस निर्णय के विरूद्ध मण्डल के समक्ष अपीलार्थीगण की ओर से अपील प्रस्तुत की गयी, जिसे राजस्व मण्डल की माननीय एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 6–1–2003 से खारिज कर दी। इसी निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह स्पेशल अपील प्रस्तुत की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि माननीय एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध एवं कानून के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि खसरा नम्बर 192 की 17बीघा 14बिस्वा भूमि पूर्व में हजारी की दादी सुगनी की कुल 51.09बीघा भूमि का भाग थी व सुगनी द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या–1/1952 में उपखण्ड अधिकारी, नोहर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16–5–1952 के द्वारा प्राप्त होकर अपीलार्थीगण उक्त भूमि के खातेदार हुए। उनका कथन है कि अपीलार्थीगण की खतोदारी भूमि को राजकीय भूमि मानकर जो विनिमय दिया गया है वह शून्य एवं क्षेत्राधिकारविहिन है। उनका कथन है कि हजारी स्वयं को विवादित आरजी का आवंटी कहने का अधिकारी नहीं है क्योंकि यह भूमि उसे कभी भी आवंटित नहीं हुई। उनका कथन है कि विवादित आराजी अपीलार्थीगण को वाद संख्या–01/1952 में पारित निर्णय अनुसार प्राप्त हुई, जिससे हजारी बाध्य है क्योंकि मु0 सुगनी द्वारा अपने जीवनकाल में जो कथन व राजीनामा कर लिया है, वह हजारी पर बाध्यकारी है। उनका कथन है कि विवादित आराजी अपीलार्थीगण के पूर्वज के धारण की भूमि थी एवं स्वतः ही खातेदारी

अधिकार प्राप्त भूमि का विनिमय नहीं किया जा सकता। उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील के विचाराधीन रहते अपीलार्थी पूर्णराम का देहान्त दिनांक 12-12-1992 को हो गया था तथा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील में निर्णय दिनांक 18-12-1992 को पारित किया गया, जो मृत व्यक्ति के विरूद्ध होने से स्वतः प्रभावशून्य है। उनका कथन है कि राजस्व मण्डल की माननीय एकलपीठ द्वारा उक्त तथ्यों को नजरअन्दाज करते आक्षेपित निर्णय पारित किया है, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत स्पेशल अपील को स्वीकार कर राजस्व मण्डल की एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06-01-2003 एवं अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय क्रमशः दिनांक 18-12-1992 एवं 4-8-1988 को निरस्त किया जाकर मूल निर्णय दिनांक 25-3-1987 को बहाल रखा जावे।

5. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या-1 के वारिसान ने अपनी बहस में कथन किया कि चक 6 बीएमपी की भूमि उनके पक्षकार को विनिमय में मिली भी जिस पर आज तक काबिज काश्त है। प्रत्यर्थी ने दिनांक 21-12-1970 को सहायक आयुक्त उपनिवेशन के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया कि उसे करीब 10साल पहले चक 6बीपीएम का रकबा कन्सोलीडेशन में दिया गया था और चक 7 केएम का रकबा छुडा लिया गया था। चक 6बीपीएम पर उसका कब्जा चला आ रहा है परन्तु रिकार्ड में अमलदरामद नहीं हुआ है। अतः 6बीपीएम का रकबा प्रत्यर्थी के नाम अमलदराम किया जावे, जस पर निर्णय दिनांक 8-1-1971 से चक 7केएम के 17-17बीघा भूमि का रकबा राज घोषित करके चक 6बीपीएम का 13-08बीघा रकबा उनके नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये। इसके बाद अपीलार्थीगण के पूर्वज पूर्ण ने दिनांक 5-9-1972 को प्रार्थनापत्र आदेश दिनांक 8-1-1971 को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया, जिस पर उपखण्ड अधिकारी ने समुचित जांच किये बिना आदेश दिनांक 25-3-1987 से राजकीय घोषित कर दिया। उनका कथन है कि आदेश के विरूद्ध उनके पक्षकार की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष रिव्यू प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जिस पर उभयपक्ष को सुनकर उपखण्ड अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 4-8-1988 से चक 6बीपीएम की भूमि पुनः प्रत्यर्थी के खाते दर्ज कर दी। उनका कथन है कि विवादित

आराजी के राजस्व अभिलेख में कभी भी अपीलार्थीगण के पूर्वज की खातेदारी में दर्ज नहीं रही है तथा अपीलार्थीगण पुराने कब्जे के आधार पर विवादित आराजी पर खातेदारी हक चाहता है तो उसे सक्षम न्यायालय में घोषणा का दावा करना चाहिए। उनका कथन है कि माननीय एकलपीठ द्वारा इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आक्षेपित निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। उनका कथन है कि अपीलार्थीगण की स्पेशल अपील में ऐसा कोई विधिक बिन्दू निहित नहीं है, जिससे माननीय एकलपीठ द्वारा पारित विधिसम्मत् निर्णय में स्पेशल अपील के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जावे। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत स्पेशल अपील को खारिज किया जावे।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली एवं पारित निर्णयों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थीगण ने राजीनामा के आधार पर खसरा नम्बर 192 की 17–14बीघा भूमि उनके पूर्वज पूर्णराम को दिनांक 16–5–1952 को प्राप्त होने का कथन किया गया है परन्तु राजस्व रिकार्ड में उक्त निर्ण के आधार पर अपीलार्थी को कोई खातेदारी नहीं मिली। अपीलार्थी वर्ष 1952 के जिस दावे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त होने का कथन कर रहे है वह दावा भी बेदखली का था। बेदखली के दावे में राजीनामा के आधार पर विवादित आराजी पर काबिज काश्त होने मात्र से अपीलार्थीगण को विवादित आराजी पर कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते क्योंकि बेदखली के दावे में पारित निर्णय के अनुसरण में राजस्व अभिलेख में कोई अमलदरामद नहीं हुआ। प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 21–12–1970 को प्रत्यर्थी हजारी द्वारा एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कथन किया कि उसे करीब 10साल पहले कन्सोलीडेशन में चक 6बीपीएम की भूमि मिली तथा फिटिंग करके मौके पर कब्जा दे दिया परन्तु रिकार्ड में अमल दरामद नहीं हुआ, अतः अमलदरामद किया जावे। उक्त प्रार्थनापत्र पर सहायक उपनिवेशन आयुक्त ने बाद जांच निर्णय

दिनांक 8–1–1971 से चक 7केएम के 17–17बीघा भूमि को रकबा राज घोषित करने के आदेश दिये तथा हजारी को किलाबन्दी फिटिंग एवं एकीकरण में प्राप्त चक 6बीपीएम का 13–08बीघा रकबा भूमि हजारी के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये। अपीलार्थी के नाम फिटिंग की स्वीकृति प्रदान कर दी। इसके बाद अपीलार्थीगण के पूर्वज पूर्ण ने दिनांक 5–9–1972 को प्रार्थनापत्र आदेश दिनांक 8–1–1971 को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया, जिस पर उपखण्ड अधिकारी ने समुचित जांच किये बिना आदेश दिनांक 25–3–1987 से राजकीय घोषित कर दिया। तत्पश्चात् रिव्यू प्रार्थनापत्र पर उपखण्ड अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 4–8–1988 से चक 6बीपीएम की भूमि पुनः प्रत्यर्थी के खाते दर्ज कर दी। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि विवादित आराजी के राजस्व अभिलेख में कभी भी अपीलार्थीगण के पूर्वज के नाम दर्ज नहीं रहा है।

9. योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने हमारे समक्ष ऐसा कोई विधिक बिन्दू प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे आक्षेपित निर्णय को विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होना माना जा सकता। जहां तक अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील के विचाराधीन रहते अपीलार्थी पूर्णराम का देहान्त दिनांक 12–12–1992 को जाने से पारित निर्णय मृत व्यक्ति के विरूद्ध होने से प्रभावशून्य होने प्रश्न है, प्रथमतः तो अपील में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 14–10–1992 को पक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस सुनी जाकर प्रकरण निर्णय हेतु सुरक्षित रखा लिया था, उसके उपरान्त अपीलार्थी की मृत्यु होने से अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18–12–1992 को मृत व्यक्ति के विरूद्ध मानकर प्रभावशून्य नहीं माना जा सकता क्योंकि अपील में अपीलार्थी के जीवनकाल में ही सुनवाई पूर्ण हो चुकी थी। प्रस्तुत प्रकरण में राजस्व मण्डल की माननीय एकलपीठ द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय में प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक स्थिति की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को सारहीन होना मानते हुए खारिज किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत स्पेशल अपील को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

10. परिणामतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत स्पेशल अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा राजस्व मण्डल की माननीय एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06–01–2003 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य

(सुनील कुमार शर्मा)
सदस्य